

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

निगरानी संख्या ..1590/2014 .....जिला.....चुरू.....

उनवान – श्री गणेश कुमार मोहता पुत्र श्री द्वारका प्रसाद राजगढ चुरू बनाम राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक राजगढ चुरू।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
----------------	----------------------------------	--

01.02.2016


एकलपीठ  
श्री सुनील शर्मा, सदस्य

पत्रावली पेश हुई। निगरानीकर्ता के विद्वान अभिभाषक श्री वी.के.गर्ग एवं विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री डी.पी.ओझा उपस्थित।

प्रार्थी वकील ने वर्तमान में राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 12.01.2016 के तहत आरोपित ब्याज व शास्ति की छूट प्रदान की गई है। जिसके तहत प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर प्रस्तुत निगरानी को विदज्ञ करने का निवेदन किया है। जिसमें विभागीय पैरोकार को कोई ऐतराज नहीं है।

अतः प्रार्थी वकील का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर निगरानी जरिये विदज्ञाल खारिज की जाती है।

आदेश सुनाया गया

  
सदस्य  
राजस्थान कर बोर्ड  
अजमेर